



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-16042026-271855
CG-DL-W-16042026-271855

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 11] नई दिल्ली, मार्च 29—अप्रैल 4, 2026, शनिवार/चैत्र 8—चैत्र 14, 1948
No. 11] NEW DELHI, MARCH 29—APRIL 4, 2026, SATURDAY/CHAITRA 8—CHAITRA 14, 1948

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)
नई दिल्ली, 27 मार्च, 2026

सा.का.नि. 83.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2017 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अर्थ, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन प्रभाग में सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी के पद के लिए भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, अर्थ, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन प्रभाग, सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर – उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपावद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि – उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता- वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति- जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम ।	पदों की संख्या ।	वर्गीकरण ।
(01)	(02)	(03)
सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी	01*(2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अनुसूचिवीय

वेतन मैट्रिक्स में स्तर ।	चयन पद या अचयन पद ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा ।
(04)	(05)	(06)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (रुपए 44900-142400)	चयन पद	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(07)
लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी, प्रोन्नति द्वारा, प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशतता।
(08)	(09)	(10)
आयु: नहीं। शैक्षिक अर्हताएं: नहीं, किंतु किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक डिग्री होनी चाहिए।	लागू नहीं होता।	100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।

पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।

(11)

प्रोन्नति:

पुस्तकालय एवं सूचना सहायक जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35400-112400 रुपये) तथा उसी श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और विभाग द्वारा यथा विहित पुस्तकालय तथा सूचना विज्ञान के क्षेत्र में दो से चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित): केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों, या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के ऐसे अधिकारी:-

(क)(i) जिन्होंने नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हो; या

(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35400-112400 रुपये) या समतुल्य में पांच वर्ष की सेवा की हो; और

(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों; अर्थात्

आवश्यक:

- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातक डिग्री; और
- केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्वायत्त या कानूनी संगठन या लोक क्षेत्र के उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्थान के अधीन किसी पुस्तकालय में दो वर्ष का वृत्तिक अनुभव।

वांछनीय:

- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या प्रशिक्षण संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में मास्टर डिग्री।
- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर अनुप्रयोग में डिप्लोमा।
- डिग्री स्तर पर अर्थशास्त्र एक विषय के रूप में।

टिप्पण-1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण-2: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण-3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा या अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्षों से, इनमें से जो भी कम हो और उन्होंने अपने कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने हेतु) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।
(1) संयुक्त सचिव (प्रशासन) -अध्यक्ष;	
(2) निदेशक या उप सचिव (कार्मिक) - सदस्य;	
(3) अवर सचिव (स्थापना-IV) - सदस्य।	

[फा. सं. क.12018/04/2025-अ. IV(अ.164185)]

अजीत कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture and Farmers Welfare)

New Delhi, the 27th March, 2026

G.S.R. 83.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, Directorate of Economics and Statistics, Assistant Library and Information Officer (Group 'B' post) Recruitment Rules, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of **Assistant Library and Information Officer** in the Economics, Statistics and Evaluation Division in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture and Farmers Welfare, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture and Farmers Welfare, Economics, Statistics and Evaluation Division, Assistant Library and Information Officer Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in the pay matrix.— The number of the said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.— The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.— No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

5. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification.
(01)	(02)	(03)
Assistant Library and Information Officer	01*(2025) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial.
Level in the Pay Matrix.	Whether Selection post or Non-selection post.	Age limit for direct recruits.

(04)	(05)	(06)
Level-7 in the pay matrix (Rs.44900-142400)	Selection Post	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits.		
(07)		
Not applicable		
Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.	Period of probation, if any.	Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(08)	(09)	(10)
Age: No Educational Qualifications: No, but must possess Bachelor's Degree in Library Science or Library and Information Science from a recognized University or Institute.	Not Applicable.	100 percent by promotion failing which by deputation including Short-Term Contract.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.
(11)
Promotion: Library and Information Assistant in the Level 6 (Rs.35400-112400) in the pay matrix with five years' regular service in the grade and successfully completed training of two to four weeks in the field of Library and Information Science as prescribed by the Department.
Deputation (Including Short-Term Contract): Officers under the Central Government or State Government or Union territories or Universities or Recognised Research Institutions or Public Sector Undertakings or Statutory or Autonomous Organisations:-

- (a)(i) holding analogous posts on regular basis; or
(ii) with five years' service in the post in the level 6 (Rs.35400-112400) in the pay matrix or equivalent; and
(b) Possessing the following education qualification and experience, namely:-

Essential:

- (i) Bachelor's Degree in Library Science or Library and Information Science from a recognized University or Institute; and
(ii) two years' professional experience in a Library under Central Government or State Government or Autonomous or Statutory Organisation or Public Sector Undertaking or University or Recognised Research or Educational Institute.

Desirable:

- (i) Master's Degree in Library Science or Library and Information Science of a recognised University or Training Institute.
(ii) Diploma in Computer Application from a recognised University or Institute.
(iii) Economics as one of the subject at Degree level.

Note-1: The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputations shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note-2: Period of deputation (Including Short-Term contract) including period of deputation (Including Short-Term Contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.

Note-3: The maximum age limit for appointment by deputation (Including Short-Term Contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (1) Joint Secretary (Administration) –Chairman; (2) Director or Deputy Secretary (Personnel) – Member; (3) Under Secretary (Establishment-IV) – Member	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A. 12018/04/2025-E.IV(E.164185)]

AJIT KUMAR, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2026

सा.का.नि. 84.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 309, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय कलावती सरन बाल, अस्पताल, नई दिल्ली में जेष्ठ शल्यक्रिया कक्ष तकनीकी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली, जेष्ठ शल्यक्रिया कक्ष तकनीकी (समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर – उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता: वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उनको लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पद की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।
(1)	(2)	(3)	(4)
ज्येष्ठ शल्यक्रिया कक्ष तकनीकी	01* (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300/- रु.)।

चयन या अचयन पद।	सीधी भर्ती किये जानेवाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
(5)	(6)	(7)
अचयन।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा।	प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25500-81100/- रु) में कलावती सरन बाल अस्पताल में ऐसे शल्यक्रिया कक्ष तकनीकी जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की है। टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इसमें जो भी कम हो, कम न हो तथा उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के सम्बंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिल कर बनेगी: 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, कलावती सरन बाल अस्पताल; - अध्यक्ष; 2. संबंधित विभाग के प्रमुख, कलावती सरन बाल अ - - सदस्य; 3. उप निदेशक, प्रशासन, लेडी हार्टिंग मेडिकल कॉलेज और संबद्ध अस्पताल - सदस्य; 4. उप निदेशक (संबंधित) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय -सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए-12018/04/2025-एम एच-II]

अभिषेक पाण्डेय, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 27th March, 2026

G.S.R. 84.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Operation Theatre Technician in the Kalawati Saran Children's Hospital, New Delhi, Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Kalawati Saran Children's Hospital, New Delhi, Senior Operation Theatre Technician (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.**— The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**— No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving .**— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.
(1)	(2)	(3)	(4)
Senior Operation Theatre Technician.	01* (2026) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300).

Whether selection post or non selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(5)	(6)	(7)
Non-selection.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion.	Promotion: Operation Theatre Technician in the Kalawati Saran Children's Hospital in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) with five years regular service in the grade.

			Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.
--	--	--	---

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Additional Medical Superintendent, Kalawati Saran Children's Hospital -Chairperson; 2. Head of the concerned Department, Kalawati Saran Children's Hospital -Member; 3. Deputy Director Administration, Lady Hardinge Medical College and Associated Hospitals -Member; 4. Deputy Director (concerned), in Directorate General of Health Services - Member.	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A. 12018/04/2025-MH-II]

ABHISHEK PANDEY, Under Secy.

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 2026

सा.का.नि. 85.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर प्रोफेसर (चीनी अभियांत्रिकी), सहायक प्रोफेसर (चीनी अभियांत्रिकी), प्रवक्ता (चीनी अभियांत्रिकी), सहायक अभियंता (विद्युत/ अभियांत्रिकी) और वरिष्ठ अनुसंधान सहायक (यांत्रिक अभियांत्रिकी) भर्ती नियम, 2017 को, जहां तक उनका संबंध प्रवक्ता (चीनी अभियांत्रिकी) के पद से हैं, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर, मुख्य डिजाइनर और वरिष्ठ ड्राफ्ट्समैन (समूह 'क' और 'ख' पद) भर्ती नियम, 2018 को, जहां तक उनका संबंध मुख्य डिजाइनर के पद से हैं और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (डिजाइनर) (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2019 को, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या लोप किया गया है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर, में प्रवक्ता (चीनी अभियांत्रिकी) और मुख्य डिजाइनर के भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर, प्रवक्ता (चीनी अभियांत्रिकी) और मुख्य डिजाइनर भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में वे स्तर होंगे जो इन नियमों से संलग्न सारणी के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु - सीमा, अर्हताएं आदि-- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, योग्यताएं तथा उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त सारणी के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता -वह व्यक्ति

(अ) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ब) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति- जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जातिजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम.	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में लेवल
(1)	(2)	(3)	(4)
1.प्रवक्ता (शर्करा अभियांत्रिकी)।	2* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (रु. 56,100-1,77,500/-)

पद किस श्रेणी में आता है, चयन या गैर-चयन	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा।	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं।
(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता।	35 वर्ष से अधिक नहीं. (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष तक की छूट) टिप्पण: - आयु सीमा अवधारित	अनिवार्य:- (क) (1) (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से यांत्रिक अभियांत्रिकी या वैद्युत अभियांत्रिकी में स्नातक की डिग्री; (1) (ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से चीनी अभियांत्रिकी में एसोसिएटशिप या चीनी अभियांत्रिकी में परास्नातक

	करने की निर्णायक तारीख संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।	डिप्लोमा; अथवा (अ) (2) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से विद्युत अभियांत्रिकी या यांत्रिक अभियांत्रिकी विषय में स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री; और (ब) चीनी अभियांत्रिकी या यांत्रिक अभियांत्रिकी या वैद्युत अभियांत्रिकी के क्षेत्र में डिग्री स्तर पर अनुसंधान या परामर्श या औद्योगिक में तीन वर्ष का शिक्षण का अनुभव, जिसमें से चीनी अभियांत्रिकी के क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव; अथवा चीनी मिल में काम करने का तीन वर्ष का अनुभव वांछनीय- आधुनिक चीनी मिल के डिजाइन या संचालन या निर्माण का अनुभव। टिप्पण 1- अर्हताएँ, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2- अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएँ) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।
--	--	--

क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हता प्रोन्नति के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती के लिए एक वर्ष टिप्पण—केंद्रीय सरकार द्वारा विहित परिवीक्षा सफल समापन के लिए कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रेरण प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।	सीधी भर्ती से। टिप्पण—पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियाँ केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी। (क)(i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किये हो; अथवा (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-9 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में दो वर्ष की सेवा की हो या मूल कैडर या विभाग में समतुल्य; या (iii) मूल कैडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर -8 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में चार वर्ष की सेवा या समकक्ष; और (ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए उपयुक्त

	प्रोन्नत किया जाने वाले व्यक्तियों के लिए 2 वर्ष	आवेदन पत्र जारी किए गए हैं। टिप्पण 1- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
--	--	---

पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(11)
लागू नहीं होता।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो इसकी संरचना है।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय पुष्टिकरण समिति में (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:- 1. संयुक्त सचिव (शर्करा) या अपर सचिव (शर्करा), खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग -अध्यक्ष; 2. निदेशक, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर -सदस्य; 3. निदेशक या उप सचिव, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, -सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)
2. मुख्य डिजाइनर	1* (2025) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, गैर-अनुसूचित।	स्तर -10 (रु. 56,100-1,77,500/-)।

(5)	(6)	(7)
चयन पद।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	प्रोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)

(11)

प्रोन्नति:-

वेतन मैट्रिक्स (रु. 35,400- 1,12,400) में स्तर -6 में वरिष्ठ ड्राफ्ट्समैन, जिन्होंने ग्रेड में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो और विभाग द्वारा निर्धारित मान्यता प्राप्त संस्थान या संगठन से सुसंगत क्षेत्रों में अल्पकालिक पाठ्यक्रम या दो से चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।

टिप्पण 1: इन नियमों के अधिसूचित होने की तारीख को, नियमित आधार पर पोषक पद धारण करने वाले वरिष्ठ ड्राफ्ट्समैन के लिए पात्रता सेवा आठ वर्ष की बनी रहेगी।

टिप्पण 2: - जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम ना हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित):

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त निकायों या सांविधिक संगठनों के ऐसे अधिकारी:

(क)(i) जो मूल कैडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदों को धारण किया हो; अथवा

(ii) मूल कैडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर- 9 (53,100-1,67,800 रुपये) या समतुल्य पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में दो वर्ष की सेवा की हो; अथवा

(iii) मूल कैडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर- 8 (47,600 – 1,51,100 रुपये) के या समतुल्य पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में चार वर्ष की सेवा की हो; और

(ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हो:

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से यांत्रिक अभियांत्रिकी में स्नातक की डिग्री।

(ii) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों अथवा पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या स्वायत्त निकायों अथवा सांविधिक संगठनों में शर्करा मशीनरी अथवा रसायन संयंत्र से संबंधित डिजाइन कार्य का तीन वर्ष का अनुभव।

टिप्पण-1:- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिये विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
(क) विभागीय प्रोन्नति समिति में (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित शामिल हैं: - 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग -अध्यक्ष; 2. संयुक्त सचिव (शर्करा)/अपर सचिव (शर्करा), खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग -सदस्य; 3. निदेशक, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर -सदस्य। (ख) समूह 'क' विभागीय पुष्टिकरण समिति में (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) समिति में शामिल हैं: - 1. संयुक्त सचिव (शर्करा) या अपर सचिव (शर्करा), खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग -अध्यक्ष; 2. निदेशक या उप सचिव, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग -सदस्य; 3. निदेशक, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर -सदस्य।	प्रोन्नति के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

[फा. सं. ए-12018/12/2010-एसए]

अनिल कुमार गुप्ता, अवर सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION
(Department Of Food And Public Distribution)

New Delhi, the 14th January, 2026

G.S.R. 85.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the National Sugar Institute, Kanpur, Professor (Sugar Engineering), Assistant Professor (Sugar Engineering), Lecturer (Sugar Engineering), Assistant Engineer (Electrical / Mechanical Engineering) and Senior Research Assistant (Mechanical Engineering) Recruitment Rules, 2017, in so far as they relate to the post of Lecturer (Sugar Engineering), the Ministry of Consumer Affairs, Department of Food and Public Distribution, National Sugar Institute, Kanpur, Chief Designer and Senior Draughtsman (Group 'A' and 'B' posts) Recruitment Rules, 2018, in so far as they relate to post of Chief Designer and the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Food and Public Distribution, National Sugar Institute, Kanpur Senior Scientific Officer (Design) (Group 'A' post) Recruitment Rules, 2019, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the president hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Lecturer (Sugar Engineering) and Chief Designer in the National Sugar Institute, Kanpur, the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distributions, Department of Food and Public Distribution, namely:—

1. **Short title and commencement.** — (1) These rules may be called the National Sugar Institute, Kanpur, Lecturer (Sugar Engineering) and Chief Designer Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in pay matrix.** — The number of said posts, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.** — No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. -Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other backward classes, ex-servicemen and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Lecturer (Sugar Engineering).	2* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-10 in the pay matrix (Rs. 56,100-1,77,500/-).

Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(5)	(6)	(7)
Not applicable.	Not exceeding 35 years. (Relaxable for government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: - The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission.	Essential: - (A) (1) (i) Bachelor's Degree in Mechanical Engineering or Electrical Engineering from a recognised University or Institute; (1) (ii) Associateship in Sugar Engineering or Post Graduate Diploma in Sugar Engineering from a recognised Institute or University; or (A) (2) Bachelor's and Master's degree in Electrical Engineering or Mechanical Engineering discipline from a recognised Institute or University; and (B) Three years of teaching at Degree level or research or Consultancy or Industrial in the field of Sugar Engineering or Mechanical Engineering or Electrical Engineering out of which two years' experience should be in the field of Sugar Engineering; or three years' experience of working in a Sugar Factory. Desirable: - Experience of designing or operation or erection of modern sugar plant. Note 1.- Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2.- The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable.	One year for direct recruits. Note. - There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	By direct recruitment. Note. -Vacancy caused by incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administration. - (a)(i) holding analogous post on regular basis in parent cadre or Department; or (ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-9 in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; or (iii) with four years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-8 in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). Note 1.- The period of deputation including period of deputation in another ex- cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2.- The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
(11)
Not applicable.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: - 1. Joint Secretary (Sugar) or Additional Secretary (Sugar), Department of Food and Public Distribution - Chairman; 2. Director, National Sugar Institute, Kanpur -Member;	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary.

3. Director or Deputy Secretary, Department of Food and Public Distribution	-Member.
---	----------

(1)	(2)	(3)	(4)
2. Chief Designer.	1* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-10 in the pay matrix (Rs. 56,100-1,77,500/-).

(5)	(6)	(7)
Selection post.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years for promotes.	By promotion failing which by deputation including short-term contract.

(11)
Promotion: - Senior Draughtsman in level-6 (Rs.35,400- 1,12,400) in pay matrix with ten years regular service in the grade; and having successfully completed the short- term course or two to four weeks training in relevant fields from a recognised institute or organisation, as devised by the Department. Note. -The eligibility service shall continue to be eight years for persons holding the feeder post of Senior Draughtsman on regular basis as on the date of notification of these rules. Note.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation including short-term contact: Officers under the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or recognised research institutes or recognised Universities or Public Sectors Undertakings or autonomous bodies or statutory organisation: (a)(i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the level-9 (Rs. 53,100-1,67,800) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; or (iii). with four years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the level-8 (Rs. 47,600 – 1,51,100) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) Possessing the following educational qualifications and experience: (i) Bachelor's Degree in Mechanical Engineering from a recognised University or Institute. (ii) three years' experience of design work relating to sugar machinery or chemical plant in Central Government or State Governments or Union territory Administrations or Public Sector Undertakings or recognized Universities or recognized research institutions or autonomous bodies or statutory organisations. Note 1.- The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2.- The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 3.- The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

(12)	(13)
(A) Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: - 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission -Chairman; 2. Joint Secretary (Sugar)/Additional Secretary (Sugar), Department of Food and Public Distribution -Member; 3. Director, National Sugar Institute, Kanpur -Member. (B) Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: - 1. Joint Secretary (Sugar) or Additional Secretary (Sugar), Department of Food and Public Distribution -Chairman; 2. Director or Deputy Secretary, Department of Food and Public Distribution -Member; 3. Director, National Sugar Institute, Kanpur -Member.	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary for promotion.

[F. No. A-12018/12/2010-SA]

ANIL KUMAR GUPTA, Under Secy.

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2026

सा.का.नि. 86.—वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय के कार्यालय द्वारा जारी समूह 'सी' पदों की भर्ती नियमावली, 2019 संबंधी अधिसूचना, जो भारत के साप्ताहिक राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में जी.एस.आर. संख्या 42, दिनांक 23 जनवरी, 2019 के माध्यम से प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं:

(i) अनुसूची में आँकड़ा प्रक्रमण सहायक (Data Processing Assistant) के लिए स्तंभ 6 "प्रत्यक्ष भर्ती के लिए आयु सीमा" के अंतर्गत प्रविष्टि "18 से 30 वर्ष की आयु के बीच" के स्थान पर "18 से 27 वर्ष की आयु के बीच" पढ़ा जाएगा।

[फा. सं. ए-12018/1/2023-स्था-I]

ओंकार प्रसाद घोष, उपमहानिदेशक

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF COMMERCIAL INTELLIGENCE AND STATISTICS)****CORRIGENDUM**

New Delhi, the 23rd March, 2026

G.S.R. 86.— In the notification of the Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce, Office of the Directorate General of Commercial Intelligence & Statistics, Group C post Recruitment Rules, 2019 published in the Weekly Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide **G.S.R. No. 42 dated 23rd January, 2019**, the following corrections are carried out;

Under Column 6 “Age limit for direct recruits” in the Schedule for ‘Data Processing Assistant’, the entry **“Between 18 to 30 years of age” shall be substituted with “Between 18 to 27 years of age.”**

[F. No. A-12018/1/2023-ESTT-I]

ONKAR PROSAD GHOSH, Dy. Director General